न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन सख्या :– 946/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 रेखाराम पुत्र रामजी 2 मेघाराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी पोलाणियो की ढाणी (साजटा) तहसील व जिला बाडमेर।		1 करनाराम 2 रणछाराम पिसरान जोगाराम 3 गोपाराम पुत्र रामजी 4 केसाराम 5 कुशलाराम पिसरान रेखाराम 6 गोरधनराम पुत्र नारणाराम जाति जाट निवासी पोलाणियो की ढाणी (साजटा) तहसील व जिला बाडमेर 7 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री राऊराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण।
2 श्री बाबूलाल पूनिया, वकील अप्रार्थी संख्या 02, 04 व 05।

निर्णय

दिनाक 25.01.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थीगण द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दौलाणियों का तला पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील बाडमेर के खसरा सख्या 132 रकबा 02.12 बीघा खसरा सख्या 558/138 रकबा 33.16 बीघा, खसरा सख्या 544/529 रकबा 41.00 बीघा तथा मौजा आसूओं की ढाणी पटवार क्षेत्र साजटा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 526/325 रकबा 45.19 बीघा भूमि की आई हुई है। उक्त भूमि अविभाजित है तथा संयुक्त कब्जा–काश्त की है। अविभाजित भूमि का विशिष्ठ हिस्सा अप्रार्थी सख्या 01 अजनबी को बेचान करना चाहता है। अजनबी अविभाजित भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा कर उपजाऊ जमीन हथियाने का प्रयास कर रहा है। अप्रार्थी सख्या 01 के उक्त कृत्य से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थीगण के पक्ष मे तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप न करे और न ही भूमि का रहन, बय, हस्तान्तरण करे, मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नॉटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02, 04 व 05 के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण को उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर कोई आपति नही है। अप्रार्थी सख्या 01, 03 व 06 का नॉटिस तामिल की श्रेणी मे प्राप्त हो चुका है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 सयुक्त खातेदारी की

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अविभाजित भूमि का अजनबी को बेचान करना चाहता है। अजनबी अविभाजित भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा कर उपजाऊ जमीन हथियाने का प्रयास कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 के उक्त कृत्य से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा दौलाणियों का तला पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 132 रकबा 02.12 बीघा खसरा संख्या 558/138 रकबा 33.16 बीघा, खसरा संख्या 544/529 रकबा 41.00 बीघा तथा मौजा आसूओं की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 526/325 रकबा 45.19 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि संयुक्त कब्जा काश्त की अविभाजित है। उक्त अविभाजित भूमि के उपजाऊ भाग को अप्रार्थी संख्या 01 किसी अजनबी को बेचान कर देता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 01 मौजा दौलाणियों का तला पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 132 रकबा 02.12 बीघा खसरा संख्या 558/138 रकबा 33.16 बीघा, खसरा संख्या 544/529 रकबा 41.00 बीघा तथा मौजा आसूओं की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 526/325 रकबा 45.19 बीघा भूमि का रहन, बय एवं हस्तान्तरण नही करे तथा मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner